पानी का सदुपयोग बढ़ाना है तो हिसाब-किताब रखना भी जरूरी

मनीष तिवारी ● नई दिल्ली

- टास्क फोर्स कर सकता है मीटर प्रणाली की अनिवार्यता की सिफारिश
- राज्यों में जल नियमन प्राधिकरण का सुझाव, निगरानी की जरूरत

देश में जल उपयोग की दक्षता 20 प्रतिशत बढ़ाने के राष्ट्रीय जल मिशन के लक्ष्य को हासिल करने के लिए काम रहे राष्ट्रीय टास्क फोर्स ने पानी की बर्बादी रोकने, खासकर घरेलू इस्तेमाल में इसके सदुपयोग को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया है। सबसे अधिक जोर पानी का पूरा हिसाब-किताब रखने पर दिया गया है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की मीटरिंग को अनिवार्य बनाने का सुझाव दिया गया है।

सूत्रों के अनुसार टास्क फोर्स की अब तक की तीन बैठकों में विशेषज्ञों ने इस विषय को प्रमुखता से उठाया है। माना जा रहा है कि जल उपयोग के लिए बन रहे राष्ट्रीय फ्रेमवर्क में इसकी अनिवार्यता के प्रविधान किए जा सकते हैं। इस टास्क फोर्स का गठन जलशक्ति मंत्रालय के तहत काम करने वाले ब्यूरो आफ वाटर यूज एफिशिएंसी (बीडब्ल्यूयूई) की ओर से किया गया है, जिसमें कई मंत्रालयों और राज्यों के प्रतिनिधि भी शामिल हैं। सूत्रों के अनुसार टास्क फोर्स की बैठक में शहरी विकास से जुड़े एक अफसर ने कहा, पानी के इस्तेमाल को सही तरह मापने के लिए मीटर प्रणाली को अनिवार्य बनाना चाहिए। शहरों में अपशिष्ट जल का पूरी तरह उपचार होना चाहिए और इसका फिर से इस्तेमाल होना चाहिए। पेयजल आपूर्ति के लिए जलाशय शहरी परिधि के भीतर होने चाहिए ताकि पानी को घरों तक पहुंचाने के लिए लागत कम से कम आए। टास्क फोर्स में पानी के उपयोग की निगरानी को प्रमुख विषय माना गया है। यह सुझाव भी दिया गया कि जल नियमन प्राधिकरण की स्थापना हर राज्य में हो। जिला स्तर पर पानी के इस्तेमाल की निगरानी हो। मीटरिंग से ट्यूबवेलों से निकाले जाने वाले पानी को अलग नहीं रखा जा सकता है। जब तक पानी के लेखा-जोखा का रिकार्ड नहीं रखा जाएगा तब तक उसके उपयोग की निगरानी कैसे संभव है। सूत्रों ने बताया कि टास्क फोर्स ने फ्रेमवर्क तय करने के लिए जो विषय निर्धारित किए हैं, उसमें वाटर आडिटिंग और आडिटरों के कामकाज को शामिल किया है। इसके तहत पानी की खपत की समीक्षा करने की बात है।

nwda.gov.in